न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/एल0आर0/5997/2005/बारां

1– स्व0 श्रीमती कंचन बाई पत्नि स्व0 श्री जगन्नाथ, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बेडक्या, तहसील अटरु, जिला बारां जरिये कायम मुकामानः–

1.1 अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बेडक्या, तहसील अटरु, जिला बारां

1.2 श्रीमती लीलावती बाई पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नि चतुर्भुज जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1.3 श्रीमती विद्या बाई पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नि श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण, निवासी कुन्हाडी, जिला कोटा।

.....अपीलार्थी

ब्नाम

1– दीनानाथ आत्मज गोरधनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बेडक्या, तहसील अटरु, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अधिवक्ता

.....रैस्पो0

एकल – पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री एन0के0 गुप्ता, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री दीनानाथ, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः –26.07.2019

हस्तगत अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "अधिनियम, 1956") के अंतर्गत विद्वान अति0 सम्भागीय आयुक्त, कोटा द्वारा अपील संख्या 173/2003 शीर्षक कंचन बाई बनाम दीनानाथ में पारित निर्णय दिनांक 28–09–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/रैस्पा0 संख्या–1 दीनानाथ द्वारा उप जिला कलक्टर, अटरु के न्यायालय में भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम बेडक्या, तहसील अटरु स्थित आराजी खसरा नम्बरान 12, 13, 14, 15, 16, 18, 43, 123, 217, 263, 264, 341, 371, 348/390 कुल किता 14 कुल रकबा 114 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी एवं उसके भाई संतोश के खाते में दर्ज थी। अप्रार्थी कंचन बाई की खसरा नम्बरान 61, 108, 242, 257, 258, 261, 345, 348, 79/388, 106/189, 248/391, कुल किता 11 कुल रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी। उक्त भूमि पैतृक जिसमें पक्षकारान ने आपसी सहमति से बॅटवारा कर लिया है। बॅटवारे के मुताबिक खसरा नम्बर 348/390 की 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खाते में तथा खसरा नम्बर 348 का रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा अप्रार्थी के खाते में दर्ज थी। दौराने भू प्रबन्ध खसरा नम्बर 348 के नये नम्बर 440 का रकबा 0.521 है0 बनाया है तथा खसरा नम्बर 348/390 के नये नम्बर 441 रकबा 0.42 है0 बनाये हैं और मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का बराबर भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। भू प्रबन्ध विभाग

ने जानबूझ कर गलती की है। अतः खसरा नम्बर 348/390 की 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खाते में तथा खसरा नम्बर 348 का रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 348 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के बनाए गए नये नम्बर 440 व 441 का बराबर हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थीया के खाते में दर्ज किया जा कर खाते को दुरुस्त किया जाये और इसी अनुसार नक्शे को तरमीम किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, अटरु ने निर्णय दिनांक 18–7–2003 से इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील संख्या 173/2003 शीर्षक कंचन बाई बनाम दीनानाथ को अति0 सम्भागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–09–2005 से खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष ने बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रैस्पो0 द्वारा भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी, अटरु ने निर्णय दिनांक 18–7–2003 से स्वीकार कर तहसीलदार, अटरु को आदेश दिया है कि खसरा नम्बर 440 रकबा 0.51 है0 में से 0.04 है0 कम कर प्रार्थी के खाते के खसरा नम्बर 441/0.42 है0 में दर्ज कर इसका रकबा 0.46 है0 किया जाये तथा अप्रार्थी के खसरा नम्बर 440 रकबा 0.04 है0 कम कर 0.47 है0 किया जाये। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन कि भू प्रबन्ध से पूर्व अपीलार्थी के खाते में खसरा नम्बर 348 की 3 बीघा 5 बिस्वा यानि 0.52 है0 भूमि थी और इतनी ही दर्ज होनी चाहिए थी। रैस्पो0 की कोई भूमि अपीलण्ट के खाते में दर्ज नहीं की गई है। जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया गया है वह अपीलार्थी की मौजूदगी में नहीं देखा गया है और एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। मौके पर अपीलाण्ट व रैस्पो0 संख्या–1 बराबर काश्त कर रहे हैं तथा अपीलाण्ट व रैस्पो0 के रकबे में 0.09 है0 का अन्तर है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अविधिक रुप से आक्षेपित आदेश पारित यिका है, अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाये और प्रार्थना पत्र धारा 136 निरस्त किया जाये।

5– रैस्पो0 पक्ष के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने विधिक रुप से परीक्षण करते हुये निर्णय पारित किया है और प्रार्थी व अप्रार्थी के रकबे को विधिक रुप से बराबर बराबर किया गया है। भू प्रबन्ध में एक ही टुकडे के बराबर बराबर भाग नहीं कर असमान भाग किए गए हैं, जब कि पूर्व में दोनों का बराबर बराबर हिस्सा था। जो मौका रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त की गई है उससे भी हमारे पक्ष की पुष्टि बखूबी होती है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः अपील खारिज की जावे।

6– योग्य अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली व सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत नजीरों का भी ससम्मान अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में स्पष्ट है कि प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया था कि प्रश्नगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है और इसमें पक्षकारान से आपसी सहमति से बॅटवारा किया हुआ है जिसमें खसरा नम्बर 348/390 की 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी के हिस्से में आई है तथा खसरा नम्बर 348 की 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के हिस्से में आई है। नवीन नम्बरान कायम करते समय खसरा नम्बर 348/390 की 3 बीघा 5 बिस्वा का 440 रकबा 0.51 है0 कायम किया गया है और खसरा नम्बर 348 की 3 बीघा 5 बिस्वा का नवीन नम्बर 441 रबा 0.42 है0 कायम किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से खसरा नम्बर 440 व 441 में प्रार्थी व अप्रार्थी को बराबर बराबर खाते में दुरुस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर तहसीलदार, अटरु से रिपोर्ट मंगाई गई है और तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम बेडक्या, तहसील अटरु स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 348 का एक ही खेत था। इसका विभाजन होने पर दीनानाथ और कंचन बाई के आधा–आधा हिस्सा कुल 3 बीघा 5 बिस्वा हिस्से में आया। भू प्रबन्ध के पश्चात् उक्त साबिक आराजी के नवीन खसरा नम्बर 441 रकबा 0.42 है0, 440 रकबा 0.51 है0 इनके खाते में दर्ज किए गए। ये तथ्यात्मक रुप से स्पष्ट है कि दीनानाथ और कंचन बाई के रकबे में 0.09 है0 का अंतर है। तहसीलदार, अटरु ने अपनी रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है कि मौके पर अपीलार्थी और रैस्पो0 दोनों बराबर–बराबर काश्त कर रहे हैं और 0.09 है0 का अंतर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने ग्राम बेडक्या के खसरा नम्बर 440 रकबा 0.51 है0 में से 0.04 है0 कम कर प्रार्थी के खाते के खसरा नम्बर 441/0.42 है0 में दर्ज कर इसका रकबा 0.46 है0 किया जाने तथा अप्रार्थी के खसरा नम्बर 440 रकबा 0.04 है0 कम कर 0.47 है0 किया जाने के बाबत् जो आदेश पारित किया है वह पूर्व के अंकनों के आधार पर ही किया गया है क्योंकि पूर्व में दोनों का रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 3 बीघा 5 बिस्वा बराबर–बराबर था। अतः अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विवेचन उपरान्त इस निर्णय को पुष्ट किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः अपील सारहीन पाये जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य